डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2001—आश्विन 6, शक 1923

## विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2001

क्रमांक 867/2326/सा.प्र.वि./2001/2.—श्री आर.एस. श्वकर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को नांक 6-8-2001 से 16-8-2001 तक (11 दिवस) का अर्जित वकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विश्वकर्मा, को संयुक्त सचिव, वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन (मंत्रालय) में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री विश्वकर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है की यदि श्री विश्वकर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.



नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2001

क्रमांक 895/2476/सा.प्र.वि./2001/2/लीव/आई.ए.एस.—श्री आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर दुर्ग को दिनांक 17 अगस्त 2001 से 25 अगस्त 2001 (9 दिनों) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री केशरी को अवकाश काल में वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश के पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से वापस लौटने पर श्री केशरी को, कलेक्टर के पद पर जिला-दुर्ग में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री केशरी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्रमांक 919/2527/सा.प्र.वि./2001/2. श्री के. के. चक्रवर्ती, प्रमुख सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग को दिनांक 27-8-2001 से 29-8-2001 (तीन दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री चक्रवर्ती को अवकाश काल में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जिस प्रकार अबकाश के पूर्व मिलते थे.

3. अवकाश से वापस लौटने पर डॉ. के. के. चक्रवर्ती, को प्रमुख सचिव, वन एवं संस्कृति विभाग में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. के. के. चक्रवर्ती यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने कार्य पर कार्यरत रहते

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दुर्गेश मिश्रा**, संयुक्त सचिव.

---

रायपुर दिनांक 4 सितम्बर 2001

क्रमांक 146/114/2001/सा.प्र.वि./1/6.—राज्य शासन द्वारा श्री आलोक झा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बिलासपुर एवं श्रीमती अनिता झा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बिलासपुर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए श्री आलोक झा को संयुक्त सचिव के पद पर (वेतनमान रुपये 12750-16500) एवं श्रीमती अनिता झा को उप-सचिव के पद पर (वेतनमान रुपये 12000-16500) मानव अधिकार आयोग छत्तीसगढ़ रायपुर में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**स्टीफन खलखो**, उप-सचिव.

---

## आवास एवं पर्यावरण विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2001

क्रमांक 576/आ.पर्या./2001.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23-(क) की उपधारा (2) के अन्तर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 1057/2001/व.प.स./ दिनांक 28-3-2001 द्वारा बिलासपुर विकास योजना 2011 में उपान्तरण प्रस्तावित किये थे. इसकी सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दिनांक 20-4-2001 एवं 21-4-2001 को दी गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं.

अत: राज्य शासन ग्राम सरकंडा, बिलासपुर खसरा क्रमांक 1081/1 (भाग) रकबा 12.0 एकड़ की सूचना में किये गये उल्लेखानुसार बिलासपुर विकास योजना 2011 में निर्धारित भूमि उपयोग ''कृषि'' से ''आवासीय'' एवं ग्राम सरकंडा के खसरा क्रमांक 14,15/1 क, 15/3, 27, 16/1, 17/1, 17/3, 20/1, 29/2, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40/1, 46, 47, 48, 49, 50 (भाग), 51 (भाग), 52, 53, 54/1 (भाग), 54/2, 55, 56 (भाग), 57 (भाग), 15/1 ख, 18/1, 19, 23, 25 रकबा 29.24 एकड़ को सूचना में किये गये उल्लेखानुसार बिलासपुर विकास योजना 2011 में निर्धारित भूमि उपयोग ''कृषि'' से ''प्रशासनिक'' में उपान्तरण करने की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपान्तरण बिलासपुर विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**संजय शुक्ला**, उप-सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 29 अगस्त 2001

क्रमांक 45/अ-82/2001-2002/3717.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जशपुर | जशपुर | सोनक्यारी | 0.471 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, जशपुर, जिला रायपुर. | सन्ना सोनक्यारी पहुंच मार्ग |

भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर (भू-अर्जन), जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एम. आर. सारथी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क./भू-अर्जन/1/अ-82/90-91/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | राजूर | 0.161 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | मकान एवं बाड़ी निर्माण हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क./भू-अर्जन/1/अ-82/92-93/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | उलनार | 1.667 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | आसना बजावंड मार्ग हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क./भू-अर्जन/8/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | खोरखोसा | 0.619 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | खोरखोसा पहुंच मार्ग हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क./भू-अर्जन/18/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | छिन्दावाड़ा | 0.270 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | आवागमन सुगम बनाने हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क./भू-अर्जन/22/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | मावलीपदर | 0.363 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | मावलीपदर पहुंच मार्ग हेतु |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क./भू-अर्जन/23/अ-82/93-94/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | गुडरामारेंगा | 0.094 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | बड़ेमारेंगा पहुंच मार्ग निमार्ण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क./भू-अर्जन/1/अ-82/94-95/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | छोटेआमाबाल | 0.024 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | बड़ेआमाबाल मार्ग निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 23 अगस्त 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/95-96/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में ठल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | जगदलपुर | दुबेउमरगांव | 2.755 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) जगदलपुर. | बालेंगा खोरखोसा पहुंच मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 25 अगस्त 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्रमांक एक की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बस्तर | कोण्डागांव | सिरपुर | 1.706 | कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग जगदलपुर. | जुगानी नाला के उच्च स्तरीय पुल के पहुंच मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) आदि कलेक्टर, बस्तर जिला (भू-अर्जन शाखा) अथवा संबंधित विभाग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ऋचा शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर दिनांक 5 मार्च 2001

क्रमांक 193/भू-अर्जन/4/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कांकेर | भानुप्रतापपुर | सिंहारी | 29.602 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, कांकेर. | दियागांव जलाशय योजना के तहत. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एल. एन. सूर्यवंशी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2001

प्र. क्र. 1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | पेन्ड्रारोड | चिचगोहना | 0.94 | कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर. | सिवनी मरवाही मार्ग पर सोन नदी पर पुल के पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. पी. मण्डल**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-धनोरा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 71, 72/3 | 0.162 |
| योग | 0.162 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—धनोरा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-सुरडोंगर, प. ह. नं. 06.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 42/21 | 0.142 |
| योग | 0.142 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सुरडोंगर तालाब की माइनर नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/5/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-बयालपुर, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.890 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 1/13, 3/2 | 0.048 |
| 3/5 | 0.176 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 1/21, 3/6, 21/3, 23/2 | 0.235 |
| 8/2ग | 0.016 |
| 12/9 | 0.065 |
| 12/18ख | 0.024 |
| 12/19 | 0.057 |
| 22/1 | 0.024 |
| 22/2 | 0.024 |
| 23/2 | 0.016 |
| 45/6 | 0.008 |
| 45/18 | 0.073 |
| 45/7 | 0.057 |
| 45/16 | 0.065 |
| योग | 0.890 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—केशकाल बांसकोट पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/6/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-अड़ेंगा, प. ह. नं. 10.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 6/2 | 0.03 |
| 10 | 0.16 |
| 11 | 0.09 |
| 14 | 0.13 |
| 202 | 0.12 |
| 9/1 | 0.05 |
| योग | 0.58 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अड़ेंगा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/9/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-अरण्डी, प. ह. नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.741 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 35 | 0.385 |
| 50/18 | 0.040 |
| 50/25 | 0.506 |
| 54/1 | 0.040 |
| 54/4 | 0.122 |
| 54/5 | 0.486 |
| 57/1 | 0.040 |
| 67/4 | 0.122 |
| योग | 1.741 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बेड़मा-धनोरा पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, वस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 31 जुलाई 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/10/अ-82/92-93.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-केशकाल
- (ग) नगर/ग्राम-विश्रामपुरी, प. ह. नं. 12.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.149 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 829/4 | 0.149 |
| योग | 0.149 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—विश्रामपुरी तालाब की मुख्य नहर नाली हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण जिलाध्यक्ष, बस्तर जिला अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ऋचा शर्मा**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2001

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.772 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2 | 0.101 |
| 1/1 | 0.125 |
| 1/2 | 0.045 |
| 3 | 0.069 |
| 4 | 0.157 |
| 6/1 | 0.275 |
| योग | 0.772 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—शिवनाथ सेतु एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमिताभ जैन**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 अगस्त 2001

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/7/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गंजाईपाली, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.536 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 91/2ख | 0.178 |
| | 99/1 | 0.745 |
| | 134/2 | 0.895 |
| | 68 | 0.106 |
| | 66/1 | 0.510 |
| | 85/1 | 0.067 |
| | 67 | 0.898 |
| | 64 | 0.214 |
| | 65 | 0 599 |
| | 61/2ख | 0.324 |
| योग | 10 | 4.536 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—साकासुन्दरी जलाशय हेतु ग्राम गंजाईपाली.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अगस्त 2001

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/6/अ-82/98-99.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बायंग, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.737 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 1014 | 0.283 |
| | 376 | 0.454 |
| योग | | 0.737 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रानीगुड़ा माइनर नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. एन. ध्रुव**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2001

क्रमांक 959/अ.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-डौंडीलोहारा
(ग) नगर/ग्राम-नारगी, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.87 एकड़

| खसरा नम्बर | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 234 | 0.45 |
| 233 | 0.68 |
| 232 | 0.09 |
| 230 | 0.05 |
| 231 | 0.52 |
| 223 | 0.08 |
| 224 | 0.62 |
| 160 | 0.06 |
| 161 | 0.03 |
| 225 | 0.45 |
| 226 | 0.02 |
| 218 | 0.02 |
| 217 | 0.40 |
| 216 | 0.37 |
| 174 | 0.60 |
| 215 | 0.03 |
| 211 | 0.20 |
| 210 | 0.03 |
| 123 | 0.08 |
| 124 | 0.70 |
| 125 | 0.39 |
| 126 | 0.20 |
| 128 | 0.01 |
| 175 | 0.80 |
| 176 | 0.77 |
| 172 | 0.72 |
| 173 | 0.06 |
| 163 | 0.90 |
| 168/1 | 0.01 |
| 164 | 0.06 |
| 162 | 0.42 |
| 153 | 0.05 |
| योग | 9.87 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खरखरा मोंहदीपाट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 5 सितम्बर 2001

क्रमांक 1561/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (एक) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-धमधा
(ग) नगर/ग्राम-साल्हे
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.97 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 1892 | 0.08 |
| 1917 | 0.06 |
| 1918 | 0.10 |
| 1923 | 0.06 |
| 2052 | 0.30 |
| 2053 | 0.04 |
| 2054 | 0.04 |
| 2055 | 0.09 |
| 2056 | 0.10 |
| 2057 | 0.07 |
| 2059 | 0.15 |
| 2060 | 0.11 |
| 2061 | 0.18 |
| 2062 | 0.03 |
| 2063 | 0.05 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 2064 | 0.15 |
| 2066 | 0.03 |
| 2067 | 0.11 |
| 2068 | 0.07 |
| 2069 | 0.15 |
| योग | 1.97 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

---

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

### उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Bilaspur, the 29th June 2001

No. Q/Confdl./II-2-1/2001.—Pursuant to the provisional allocation of Shri Binay Kumar Shrivastava, member of the Higher Judicial Service in the State of M. P., to the State of Chhattisgarh *vide* Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training, New Delhi Order No. 14/2/2000-S.R. (S) dated 08-06-2001 read with the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Order No. 407/Conf./2001/II-2-1/2001 (Part A) dated 20-6-2001, Hon'able the Chief Justice, in exercise of powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, hereby, appoints Shri Binay Kumar Shrivastava, the then District & Sessions Judge, Rewa, as Officer-On-Special Duty in the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur till further orders and from the date he assumes charge of his duties.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
T. K. JHA, Registrar General.

---

## निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

### कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2001

क्र. 42/99/2000/चार/याचि./860.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या म. प्र.-लो. स./(42/99)/2000/2291, दिनांक 13/14-8-2001 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001.

तारीख 10 अगस्त, 2001 / 19 श्रावण, 1923 (शक)

## अधिसूचना

सं. 82/म. प्र.-लो. स./(42/99)/2000.—निर्वाचन आयोग 1999 की निर्वाचन अर्जी सं. 42 में, जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 16-3-2000 के और आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई वर्ष 2000 की सिविल अपील सं. 7319 में,तारीख 12 फरवरी 2001 को दिये गए भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 116 ग की उपधारा (2) के खण्ड(ख) के अनुसरण में इसके द्वारा प्रकाशित करता है.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION
Civil Appeal No. 7319 of 2000

Charan Lal Sahu ... Appellant (s)

*Versus*

Tarachand Sahu & Ors. ... Respondent (s)

ORDER

Heard the appellant, who appears in person.

The Civil Appeal is dismissed.

Sd./-
( G. B. PATTANAIK )

New Delhi,
February 12, 2001.

Sd./-
( U. C. BANERJEE )

आदेश से,
हस्ता./-
( एल. एच. फारुकी )
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110 001

Dated the 10th August, 2001 / 19 Sravana, 1923 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/MP-HP/(42/99)/2000.—In pursuance of clause (B) of Sub-section (2) of Section 116 C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the order dated the 12-2-2001 of the Supreme Court of India in Civil Appeal No. 7319 of 2000 filed against the Judgement and Order dated 16-3-2000 of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in Election Petition No. 42 of 1999.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION
Civil Appeal No. 7319 of 2000

Charan Lal Sahu ... Appellant (s)

*Versus*

Tarachand Sahu & Ors. ... Respondent (s)

ORDER

Heard the appellant, who appears in person.

The Civil Appeal is dismissed.

Sd./-
( G. B. PATTANAIK )

Sd./-
( U. C. BANERJEE )

New Delhi,
February 12, 2001.

By order,

Sd./-
( L. H. FARUQUI )
*Secretary,*
*Election Commission of India.*